न्यायालय सिविल जज (प्रवर वर्ग), रामपुर

सिविल प्रकीर्ण वाद सं0 –231/2022

सलीम आदि------- बनाम-------ऊदल सिंह

25–09–2023

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, मूलवाद सं0 26/2018 सलीम आदि बनाम ऊदल सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 18–12–2021 को अपास्त कर, उक्त मूलवाद को पुनः मूल नम्बर पर, स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 4ग, प्रस्तुत किया गया है,परन्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात से ही, आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही कोई पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण को अपना मुकदमा चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है।

आदेश

आवेदकगण/वादीगण सलीम आदि द्वारा मूलवाद सं0 26/2018 सलीम आदि बनाम ऊदल सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 18–12–2021 को अपास्त करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 4ग, आवेदकगण/वादीगण की अनुपस्थिति में, निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (प्रवर वर्ग)
रामपुर